कुरमियों के गोत्र का ऐतिहासिक विश्लेषण : झारखण्ड के विशेष सन्दर्भ में

बीज शब्द : कुरमी जाति, झारखण्ड, गोत्र (Clan). जनजाति।

ISSN 0975 1254 (PRINT)
ISSN 2249-9180 (ONLINE)
www.shodh.net

A Refereed Research Journal
And a complete Periodical dedicated to
Humanities & Social Science Research

शोध संचयन

कुरमी जाति बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, उड़ीसा, उत्तर-प्रदेश सहित कई प्रदेशों में पायी जाती हैं। सम्प्रति झारखण्ड राज्य में कुरमी जाति के कई गोत्र पाये जाते हैं जिनके रीति रिवाज, सामाजिक जीवन उस क्षेत्र के अन्य जनजातियों की तरह है। पक्षी पूजा, बृक्ष पूजा, आदि। इस शोध पत्र में झारखण्ड में कुरमियों के 81 गोत्रों का वर्णन किया गया है जिसके आधार पर इस समूह द्वारा स्वयं को जनजातीय समुदाय में शामिल करने की माँग की जा रही है। यह अध्ययन इनके गोत्रों का गवेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है।

-डॉ. विनोद वर्मा

अशोक कुमार महतो
शोधार्थी,
जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग,
राँची विश्वविद्यालय,
राँची।

गोत्र का शाब्दिक अर्थ होता है 'चिह्न'। एक गोत्र के सदस्यों का जो समान चिह्न या प्रतीक होता है उसे टोटेम कहा जाता है। समान गोत्र में यौन संबंध या विवाह वर्जित माना जाता है। एक गोत्र के सदस्यों के वैवाहिक संबंध सदैव दूसरे गोत्र में ही हुआ करते हैं। संतान अपने माता-पिता के गोत्र को धारण करती है। विवाह के बाद लड़की पति के गोत्र की मानी जाती है। गोत्र परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। टोटेम चिह्न पशु-पक्षी और पेड़-पौधे होते हैं जिन्हें खाना उस गोत्र में वर्जित माना जाता है।[1]

गोत्र (Clan) शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है। इसका प्रयोग सिब (Sib), सेप्ट(Sept), किन (Kin), मातृबन्धु (Matri clan), पितृबन्धु (Patri clan), जेन्स (Gens) आदि के रूप में हुआ है। हिन्दी में इसे गोत्र, कुल, खैल, किल्ली आदि नामों से पुकारा जाता है। गोत्र से तात्पर्य ऐसे समूह से है जो एक पूर्वज से अपनी उत्पत्ति मानता हो । यह पूर्वज काल्पनिक और वास्तविक दोनों की प्रकार का हो सकता है। यह एक पक्षीय रक्त संबंधियों का बहिर्विवाही समूह
है।

गोत्र (Clan) का अर्थ-

जे. आर. फौक्स के अनुसार, 'गोत्र वह एकान्वयिक (एक पक्षीय) वंश समूह है जिसे कोई नाम दिया जाता है। तात्पर्य यह है कि गोत्र व्यक्तियों का एक ऐसा समूह हे जो कि एक पूर्वज से सामान्य उत्पत्ति का दावा करता है। यह समूह अपने सदस्यों की भर्ती या तो पुरुष अथवा स्त्री सदस्यों से करता है, परन्तु दोनों से नहीं ।'

डॉ. रिवर्स ने लिखा है, किसी जनजाति का वह भाग जो बहिर्विवाही हो और जिसके सदस्य एक-दूसरे से परस्पर संबंधित माने जाते हों, चाहे उनमें एक ही पूर्वज की संतान होने का विश्वास हो, किसी गण चित्र पर समानाधिकार हो अथवा किसी एक ही प्रदेश का निवासी हो।

मजूमदार और मदान के अनुसार, 'कुल या गोत्र, अधिकांश रूप से कुछ वंशों का ऐसा संगठन होता है जो अपनी उत्पत्ति एक कल्पित पूर्वज से मानते हैं, जो कि मानव के समान पशु, पौधे या निर्जीव वस्तु तक हो सकता है।'

पिडिंगटन के अनुसार, एक गोत्र जिसे कभी-कभी 'कुल' (Sib) या सेप्ट (Sept) भी कहते हैं, एक बहिर्विवाही सामाजिक समूह है, जिसके सदस्य अपने आपको एक दूसरे से संबंधित समझते हैं, जो साधारणतया अपनी उत्पत्ति एक काल्पनिक वंशानुक्रम द्वारा किसी सामान्य पूर्वज से मानते हैं।

गोत्र की विशेषताएँ-

१. एक सामान्य पूर्वज:

गोत्र के सदस्य यह मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति किसी एक ही पूर्वज से हुई है।

२. गोत्र एक पक्षीय समूह होता है:

गोत्र में एक तो पितृपक्ष के या मातृपक्ष के सभी सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है। गोत्र में रक्तसंबंधियों को ही सम्मिलित किया जाता है।

३. बहिर्विवाह:

चूँकि एक गोत्र के सभी सदस्य अपने को एक ही पूर्वज की संतान मानते हैं, अत: वे परस्पर भाई-बहिन होते हैं। यही कारण है कि एक गोत्र के सदस्य परस्पर विवाह नहीं करते हैं।

४. एक नाम:

प्रत्येक गोत्र का कोई न कोई नाम अवश्य होता है जिसके द्वारा उसके सदस्य एक दूसरे को पहचानते हैं एवं परिचय देते हैं। यह नाम किसी ऋषि, पशु, पक्षी, देवता या निर्जीव वस्तु से भी संबंधित हो सकता है।

५. रक्त संबंध:

एक गोत्र के सभी सदस्य परस्पर रक्त संबंधी होते हैं।[2]

डॉ. एच. एन. सिंह का मानना है कि 'झारखण्ड के कुरमी गोत्रधरी हैं जबकि दूसरी जगह के कुरमी सम्भवत: टिटुलर हैं। झारखण डी कुरमी के इक्कासी गोत्रों की चर्चा कुरमाली लोकोक्तियों में मिलती है, परन्तु शोध से पता चला इनमें एक सौ एक गोत्र हैं।'[3]

डॉ. एस. बी. महतो का मत है कि एच. एच. रिजले महोदय ने (The tribes and Castes of Bengal vol. II के Appendix pg. 86) में कुड़मियों के भिन्न-भिन्न भागों का उल्लेख करते हुए झारखण्ड के कुड़मियों को टोटेमिक कहा है। यहाँ के कुड़मियों में गोत्र नहीं होता, गुसटि नाम होता है। प्रत्येक गुसटि पशु-पक्षी, जीव-जन्तु, फल-मूल आदि में विश्वास करते हैं। इन गुसटियों का मूल संगठन का नाम भी टोटेम के आधार पर होता है।" इसी संबंध में एच. एल. मोरगन का कहना भी उचित प्रतीत होता है। गुसटि नाम का टोटेमिक होना एवं विभिन्न गुसटियों का एक मूल संगठन में संगठित संगठन का नाम भी टोटेमिक होना आदिमता का परिचायक है। (देवी प्रसाद चाट्टोपाध्याय, लोकायत दर्शन, पृ. 86) इनके अनुसार कुड़मियों के गुसटियाँ टोटेमिक ही हैं। जैसे मुतरुआर, कड़उआर, हांसदा, हेमरामिआ, तिडुआर, केटिआर, बंसरियार आदि । विभिन्न गुसटियों के मूल संगठन 'कुड़म' भी टोटेमिक हैं।[4]

डॉ. निर्मल मिंज (संस्थापक प्राचार्य, गोस्सनर कॉलेज, राँची) कि मंतव्य के अनुसार, भारत की अनुसूचित जनजाति (मुंडा, संथाल, हो, खड़िया और उराँव) और कुरमी समाज में लगभग पूर्ण समानता है। सामाजिक संगठन, रीति-विधि, सांस्कृतिक मूल्य एक जैसा है। कुड़मी समाज एक जनजाति समूह है। झारखण्ड के समीपवर्ती प. बंगाल, उड़ीसा के कुरमी कबिला बिहार एवं अन्य क्षेत्रें के कुरमी/कुड़मी बिलकुल भिन्न समाज है। जनजाति में गोत्र, टोटेम और टाबु विशेष सामाजिक रीतियाँ हैं जो कुड़मी जनजाति में भी मिलते हैं। जनजाति कुड़मी समाज में 81 टोटेम पाये जाते हैं। सामाजिक और धार्मिक निषेध कुड़मी समाज में भी उसी प्रकार पाये जाते हैं जो मुंडा, संथाल, हो, खड़िया और उराँव अनुसूचित जनजातियों में पाये जाते हैं।[5]

श्याम सुन्दर महतो (संरक्षक, झारखण्ड कुड़मालि भाषा विकास परिषद, आसनतलिया, चक्रधरपुर) के अनुसार, आज हमारे समाज के समक्ष एक यक्ष प्रश्न खड़ा है कि हम किस जाति के हैं ? हमारा इतिहास क्या है? क्या हम कही से आकर यहाँ (झारखण्ड के छोटानागपुर, प. बंगाल के मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुड़ा एवं ओड़ीशा के क्योंझर, मयूरभंज, सुन्दरगढ़) बहुसंख्यक के रूप में निवास कर रहे हैं। क्या उपर्युक्त वर्णित क्षेत्र के अलावा जो कुर्मी हें उनके टोटेम (गोष्टि चिह्न) हमारे समान हैं? जहाँ तक कुड़मि जाति के इतिहास की बात है, अन्य जनजातियों की तरह यह एक कबिला वाची जाति है, कुड़मी शब्द कुड़ुम यानि 'कछुवा' से आया है। यह कुड़ुम ही आदिकाल से हमारा पूजनीय है जब कुड़ुम (कछुवा) को खेतों में या कही पाते हैं तो उसे तेल सिंदूर लगाकर जलाशय में छोड़ दिया जाता है। हमारे पूर्वज इसी कुड़ुम के संरक्षण में इस धरती में आये ऐसी हमारी मान्यता है। हमारे आदि माता-पिता बुढ़ा बाबा महामाअ है। हम इन क्षेत्रें में जिन जातियों के साथ रहते हैं वे भी हमें कुड़मि कह कर पुकारते हैं, किन्तु अब रैयती दस्तावेजों में जो बदलाव आया है उसके कारण हम अपने आपको कुर्मी समझने लगे हैं और अपनी भाषा कुड़माालि को कुरमाली कहने लगे हैं। इतिहास एवं अन्य विषयों की जानकारी के लिए पूर्व प्रकाशित पुस्तकों एवं दस्तावेज का अध्ययन जरूरी है। उक्त पुस्तकों में साफ उल्लेख किया गया है कि कुड़मि एक स्वतंत्र जाति है। यह भारत के अन्य कुर्मी के वंश से भिन्न हैं। यहाँ के कुड़मियों के मूल 81 टोटेम हैं तथा इनकी शाखाएँ भी कुछ हैं। इनका टोटेम यानि गोष्टि चिह्न पेड़-पौधे, जीवन-जन्तु, मछली आदि प्रतीक चिह्न हैं और उक्त गोष्टि से संबंधित विधि निषेध हैं यानि जैसे वंसरियार गोष्टि वाले वंशी नहीं बजाते हैं। कड़ुआर काड़ा को पूजते हैं। सांखुआर सांखा नहीं पहनते हैं आदि, लेकिन अन्य कुर्मियों में इस प्रकार की गोष्टि नहीं है। गोष्टि की विशेषता है कि एक गोष्टि के वर का किसी दूसरे गोष्टि की कन्या से ही शादी का संबंध हो सकता है। एक ही गोष्टि में शादी वर्जित है।[6]

निलिमा महतो (व्याख्याता) कहती हैं, 'प्रकृति के साथ कुड़मियों का संबंध प्राचीन काल से है, और प्रकृति की संरक्षण में इनका योगदान बहुत महत्त्वपूर्ण है। वे प्रकृतिपूजक एवं प्रकृति की गोद में पलनेवाले समुदाय हैं। प्रकृति के साथ इनका अटूट रिश्ता है। हिन्दू

धर्म में ऋषि-मुनियों के नाम से गोत्र प्रथा का प्रचलन है, जैसे भारद्वाज, कश्यप, वत्स, शाण्डिल्य आदि, परन्तु कुड़मियों में गोत्र टोटेम प्रथा, प्राचीन युग से चली आ रही है। टोटेमिक गोत्र का अर्थ है- अपने वंश का प्रतीक, यह किसी देवी-देवता का नाम नहीं है। यह प्रतीक किसी दुर्लभ प्राणी, वनस्पति या फिर उनसे बनी हुई किसी वस्तु के नाम से पहचानी जाती है।'

जैसे-

गोत्र	चिह्न
बानोआर	बंदर
हाँसुआर	हंस
बाघुआर	बाघ
कछुआर	कछुआ
सनुआर	सोना
शांखुआर	शंख
टिडुआर	तीर
डुमरिआर	डूमर
बांससिआर	बाँस

कुड़मि जाति की यह टोटेमिक गोत्र प्रथा बहुत ही प्राचीन धर्म व्यवस्था का एक रूप है जो परम्परागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। टोटेमिक प्रथा का मुख्य उद्देश्य यह है कि विशेष गोत्र के लोग उनसे संबंधित टोटेम यानि प्रतीक से दूर रहना चाहिए जैसे कछुआर गोत्र के लोग कछुओं को नहीं छुएंगे यानि उनका शिकार नहीं करेंगे। इसी तरह विशेष वंश या गोत्र के समुदाय विशेष जीवों अथवा उनसे बनी हुई वस्तुओं से दूर रहेंगे और इसी प्रकार इनका संरक्षण निरंतर चलता रहेगा। यह टोटेमिक गोत्र प्रथा सौ प्रतिशत पर्यावरण संरक्षण पर आधरित है।[7]

मुक्ति पद महतो के अनुसार, भारत देश में आदिम जाति के कुल 1148 टोटेम गुसटि चिह्न विद्वानों ने माना है। झारखण्ड राज्य में 101 टोटेम गुसटि (गोत्र) हैं जिसमें कुरमी जाति के 81 टोटेम गुसटि हैं। टोटेम गुसटि सभी पेड़-पौधे, फल-फूल, पशु-पक्षी और कीट-पतंग के नाम से बना है।

जैसे-

गोत्र		चिह्न	विधि/ निषेध
1.	उखरिआ	उखइर	व्यवहार नहीं करते हैं।
2.	उँधिआर	उँधि पिठा	नहीं खाते हैं।
3.	कइरआर	कइरा (केला)	पेड़ नहीं काटते और न खाते।
4.	करकुआर	खांखरा बिछा	नहीं मारते।
5.	काछुआर	छोटे काछिम	नहीं मारते और न खाते।
6.	काड़उआर	काड़ा (भैंसा)	भक्ति कर पूजते हैं।
7.	कुनदरिआर	कुनदरि फर (फल)	नहीं खाते।
8.	कउडिआर	फुटिया कउड़ि (फल)	व्यवहार नहीं करते।
9.	कंडहरहार	कडहर फर (फल)	न तो पेड़ काटते और न खाते हैं।
10.	कंहडहार	कंहड़ा	नहीं खाते हैं।
11.	काइटुर	कअटास	नहीं मारते हैं।
12.	कांदिमार	कादाखेंचा	न मारते और न खाते हैं।
13.	कांचिआर	कांचिडेहरि	व्यवहार नहीं करते हैं।
14.	कानबिनध	उपर काने छेदा	जरूरी है।
15.	केंकुआर	खांखड़ा (केकड़ा)	न मारते और न खाते हैं।
16.	केटिआर	तरसकआ (रेशम कीड़ा) नहीं सिझाते,	नहीं मारते हैं।
17.	केसरिआर	खेसेइर	नहीं खाते हैं।
18.	कुंडआर	कुंड़ि	व्यवहार नहीं करते हैं।
19.	खेंखआर	खेंक सियार	नहीं मारते हैं।
गोत्र		**चिह्न**	**विधि/निषेध**
20.	खेसुआर	धन	नहीं खाते हैं।
21.	खेडुआर	खेड़घास	नहीं काटते हैं।
22.	खिरुआर	खिरा	नहीं खाते हैं।
23.	गुलिआर	घंघि	नहीं खाते हैं।
24.	गेंठिआर	गेठि कांदा	न खाते और न कोड़ते हैं।
25.	गेरुआर	गेरुआ पाखन (पत्थर)	व्यवहार नहीं करते हैं।
26.	घंघुआर	घंघा	नहीं खाते हैं।
27.	चिलुआर	चिल	नहीं मारते हैं।
28.	चिड़ुआर	चिड़रा (गिलहरी)	न मारते न खाते हैं।
29.	चुहरिआर	चुटिया	नहीं मारते हैं।
30.	चांडरिआर	चाँउआर	व्यवहार नहीं करते हैं।

31.	जुमआर	लअहा चिमटि (चींटी)	नहीं मारते हैं।
32.	जुमड़िआर	गेड़गेड़ारि पका	नहीं मारते हैं।
33.	जेंगटिआर	जेंगटिपका (केंचुआ)	नहीं मारते हैं।
34.	जुरुआर	कान जगइर	नहीं मारते हैं।
35.	टिडुआर	फेनगा (टिड्डी)	नहीं मारते हैं।
36.	टेटेआर	टिटूपाइख (चेरई)	न मारते न खाते हैं।
37.	डंगरिआर	डंगि	व्यवहार नहीं करते हैं।
38.	डुंगरिआर	उइमाका (बेनुआ)	नहीं मारते हैं।
39.	डुमरिआर	डुमइर फर (फल)	नहीं मारते हैं।
40.	तितरिआर	तितिर चेरेइ	न मारते न खाते हैं।
41.	दागरिआर	दाग देअइआ	दागना मना है।
42.	दुरूआर	बेंग (मेंढक)	नहीं मारते हैं।
43.	धनुआर	बेंगाधन	नहीं खाते हैं।
44.	नग नागुआर	सांप	नहीं मारते हैं।
45.	पाकुड़आर	पाकेइ (फल)	पेड़ नहीं काटते और न उसका फल खाते हैं।
46.	पाडुरिआर	पेड़कि (पक्षी)	न खाते हैं और न मारते हैं।
47.	पुनउरिआर	पुइ साग	नहीं खाते हैं।
48.	बंसरिआर	बांस	काटना मना है और खाना भी ।
49.	बासा/ बासागिआर	सिकर चेरेइ (पक्षी)	नहीं मारते हैं।
50.	बांदुआर	बांद (तालाब)	व्यवहार नहीं करते हैं।
51.	बन सुकर	बन बराह (सूअर)	न खाते और न मारते हैं।
गोत्र		चिह्न	विधि/ निषेध
52.	बानुआर	बाना सुना	नहीं करते हैं।
53.	बिलुआर	बिलाई (बिल्ली)	नहीं मारते हैं।
54.	बुंदिआर	बुंदि/बड़आइम	व्यवहार नहीं करते हैं।
55.	बेहड़आर	बेहरा फर (फल)	व्यवहार नहीं करते हैं।
56.	बकुआर	बकलि (बगुला)	न मारते और न खाते हैं।
57.	बेडुआर	बेड़ि	व्यवहार नहीं करते हैं।
58.	बेमुआर	बेमुत चिमटि (कुरकुट)	न मारते और न खाते हैं।
59.	मगुआर	कुमहिर	न मारते और न खाते हैं।
60.	मान/ मानुआर	सांअर हेरिन (हिरण)	न मारते और न खाते हैं।
61.	मुतरुआर	माकड़ा	नहीं मारते हैं।
62.	मुरमु	सांअलिगाइ	पूजा करते हैं।
63.	मुसुआर	मुसा /इंदुर (चूहा)	न मारते और न खाते हैं।
64.	लाठअआर	लाठाचंगा	व्यवहार नहीं करते हैं।
65.	लुतिआर	लुतिमाछि	न मारते और न खाते हैं।
66.	सांखुआर	सांखा	न पहनते हैं और न बजाते हैं।
67.	सिंकुआर	सिंका	सिंका का दाग नहीं लेते हैं।
68.	सिखुआर	चुदि /चुरचुटि	नहीं रखते हैं।
69.	सिखिआर	मेजुर (मोर)	न मारते और न खाते हैं।
70.	सिंगुआर	सिंगभेरि	नहीं फूँकते हैं।
71.	सिंह/ सिंहुआर	सिंह	न मारते और न पूजते हैं।
72.	हंसतुआर	काछिम (कछुआ)	न मारते और न खाते हैं।
73.	हांसदा	बनुआ हांस	न मारते और न खाते हैं।
74.	हांसद/ गिआर	काइल हांस	न मारते और न खाते हैं।

शेष पृष्ठ 53 पर

often clubbed with FDI. All this will lead towards faster economic development in general and better growth prospects for farmers and consumers in particular. This will help not only in improving peasants income but also in controlling sky-rocking consumer price index. In this era of globalization, the quality standard and cost competitiveness is very crucial for the survival of any industry, FDI is supposed to bring both these qualities. Thus allowing foreign investment in agricultural retailing has the capability to sustain primary sector growth.

To sum up, it can be said that by permitting FDI in Indian retail market will help in assimilating the Indian agrarian retail market with the world retail market. It will lead to increased productivity in Indian agriculture and higher income and better living of standard for our farmers. Besides, due to higher growth in Indian agriculture, the whole economy will achieve higher growth trajectory. However, reaping the benefits of foreign investment in agricultural retailing, the government must adopt certain safeguards so as to ensure farmers benefits in the maximum possible way. A strong regulatory framework is needed which will have a watch on the functioning of these giants and which will restrain them to adopt unfair and monopolistic trade practices.

References:-

1. India government puts foreign supermarkets on pause, Reuters 4 December 2011 www.reuters.com/.../2011
2. Latest Govt. of India Circular on FDI, Government of India, Ministry of Commerce & Industry Department of Industrial Policy & Promotion (FC-I Section) Press Note No.5 (2012 Series). Retrieved from dipp.nic.inhaEnglishhaacts_ruleshaPress_ Noteshapn1_2012.pdf
3. FICCI http://economictimes.indiatimes.comhaNov 18, 2012
4. Retrieved from www.atkearney.com
5. Economic and financial indicators, 3 July 2008, The Economist, www.economist.com.
6. India again tops global retail index, 22.06.2007. Retrieved from http:hahaen.wikipedia.orghawikihaRetailing in India
7. Retrieved fromhttp:hahaarticles.timesofindia.indiatimes. comha2012-09-24
8. Farmer Organizations back retail FDI". The Financial Express. 2 December 2011.
9. Ibid
10. 10. (The Hindu, Nov 28, 2011)
11. Retrieved from http:hahawww.sourcinghardware.net
12. Suryamurthy, R. (2 December 2011). 'Enter farmer with an FDI in retail query". Calcutta, India: The Telegraph
13. Enter, farmer with an FDI in retail query, Calcutta, India: The Telegraph.
14. The Wall Street Journal, V.K. Madhvan , Dec 2012. Retrieved from http://www.livemint.comha
15. APMC Act. Retrieved from timesofindia.indiatimes.com
16. Essential Commodities Act. Retrieved from timesofindia. indiatimes.com

पृष्ठ 45 का शेष

75.	हिंदइआर	कुचिआ माछ	न मारते और न खाते हैं।
76.	हेमरामिआर	पान पात	व्यवहार नहीं करते हैं।
77.	नागटुआर	बेबसतरअ गुपुत पुजा	गुप्त पूजा करते हैं।
78.	नेलुआर	नेउला	न मारते और न खाते हैं।
79.	लाकडुआर	लाकड़ा	नहीं मारते, पूजा करते हैं।
80.	खेड़हुआर	खेड़ा (खरगोश)	न मारते और न खाते हैं।
81.	केटिरिआर	कठुआ	व्यवहार नहीं करते हैं।[8]

मारगन के अनुसार एक से अधिक टोटेम के सम्मिलित संगठन को कनफेडेरसि आफॅ ट्राइब्स कहते हैं। इस हिसाब से काड़वार, मुतरुआर, हंसतुआर, हिंदइआर इत्यादि के टोटेम के सम्मिलित नाम को कनफेडेरेसि ऑफ कुड़मी ट्राइब्स कहते हैं। कुड़मी कनफेडेरेसी स्वयं काछिम टोटेम है। कुड़म का अर्थ 'कछुआ' होता है जिसमे 'ई' प्रत्यय जोड़कर कुड़मी शब्द बना है।

निष्कर्ष:-

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुरमी समाज में गोत्र एक महत्त्वपूर्ण शक्तिशाली संगठन है। वह अपने सदस्यों को सूत्र में पिरोता है, उनकी सहायता और सुरक्षा करता है, उन पर नियंत्रण और शासन करता है। गोत्र भाईचारे और रक्त संबंध की भावना के आधर पर बहिर्विवाह के नियमों का भी पालन करवाता है। यह अपने सदस्यों के लिए विधिक, धार्मिक, सांस्कारिक और आर्थिक कार्य सम्पन्न करता है। इस प्रकार गोत्र सामाजिक और सामुदायिक जीवन में शक्ति प्रवाहित करनेवाला स्रोत है।

संदर्भ:-

1. भूषण विद्या, झारखण्ड : समाज, संस्कृति और विकास, 200, पृ. 23.
2. गुप्ता एम. एल., शर्मा डी. डी., समाज शास्त्र, 1993, पृ. 271-273.
3. सिंह एच. एन., कुरमाली साहित्य : विविं संदर्भ, 2010, पृ. 180-181.
4. महतो एस. बी., कुड़माली भाषा समस्याएँ एवं समाधन, 1983, पृ. 3-4.
5. मेहता बसंत कुमार, कुड़मियों की कहानी जनगणना की जुबानी, 2011, पृ. 40.
6. महतो श्याम सुन्दर, कुड़मि-कुड़माालि- दशा और दिशा, स्मारिका, 19 दिसम्बर 2010, पृ. 22.
7. महतो निलीमा, कुड़मियों को टोटेमिज्म और पर्यावरण संरक्षण, स्मारिका, 19 दिसम्बर 2010, पृ. 53.
8. महतो मुक्तिपद, कुरमाली साहित्य, एक टुपा फूल, 2012, पृ. 69-71
9. मेहता बसंत कुमार, कुड़मियों की कहानी जनगणना की जुबानी, 2011, पृ. 45-47.